

राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.1 () नि.उ./Solar/GL/2017-18/5401-5526

दिनांक: 01/11/17

समस्त उप/सहायक निदेशक उद्यान


विषय: सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना 2017-18 हेतु दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 3 एचपी व 5 एचपी के सौर उर्जा पम्प संयंत्र कृषकों को वर्ष 2017-18 में अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JLNNSM) तथा राज्य योजना अन्तर्गत सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना हेतु क्रियान्वयन दिशा-निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे :-

1. सर्वप्रथम जिला उद्यान कार्यालयों में पूर्व में प्राप्त पत्रावलियों (लम्बित पत्रावलियों) का निस्तारण कर, नवीन पत्रावलिआ ऑन-लाईन ही प्राप्त की जावे एवं इस वर्ष से ऑन-लाईन आवेदन पत्र के साथ अग्रिम कृषक हिस्सा राशि रु. 10,000 नही ली जावेगी। कृषक द्वारा सम्पूर्ण कृषक हिस्सा राशि कार्यादेश से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय में जमा करानी होगी।
2. सौर उर्जा पम्प संयंत्रों पर अनुदान 3 व 5 एचपी तक के संयंत्रों पर ही देय होगा। कृषक द्वारा पात्रता से अधिक एचपी का संयंत्र स्वेच्छानुसार स्थापित करवाने पर अतिरिक्त कृषक हिस्सा राशि, कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

अतः दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित समय मे लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। यहाँ उल्लेखनीय है कि परियोजना के अध्यक्षीन किसी भी प्रकार के कार्बन क्रेडिट सम्बन्धी प्राधिकार RHDS/उद्यान विभाग राजस्थान के पास होगा।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


निदेशक उद्यान एवं
सदस्य सचिव, RHDS

क्रमांक प.1 () नि.उ./Solar/GL/2017-18/5401-5526
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 01/11/17

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, (RE&O) राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लि0, (RRECL), E-166 ए यूपिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. अध्यक्ष, जिला होर्टीकल्चर सोसायटी एवं जिला कलेक्टर
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, सहकार भवन जयपुर।
8. समस्त जिला अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि0।
9. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान (योजना), मु. पंत कृषि भवन, जयपुर।
10. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार
11. समस्त संभागीय उप निदेशक उद्यान
12. उप निदेशक, कृषि विस्तार (जिला परिषद)
13. समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि.)
14. आरक्षी पत्रावली


निदेशक उद्यान एवं
सदस्य सचिव, RHDS

“हाईटेक उद्यानिकी / कृषि हेतु सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना 2017-18”

1. भूमिका

राज्य में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना को ध्यान में रखते हुये कृषि क्षेत्र में गैर-पारम्परिक एवं पर्यावरण मित्र उर्जा के उपयोग हेतु उद्यान विभाग द्वारा राज्य के कृषकों हेतु सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जा रहा है। यह परियोजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JLNNSM) तथा राज्य योजना के तहत क्रियान्वित की जावेगी। परियोजना का क्रियान्वयन स्वरूप इस प्रकार है –

2. कृषक चयन पात्रता

कृषक चयन निम्न पात्रता के आधार पर किया जाना है:-

सौर पम्प संयंत्र 3 HP

1. कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर का भू-स्वामित्व हो।
2. कृषक द्वारा सिंचाई हेतु ड्रिप/मिनि स्प्रिंकलर / स्प्रिंकलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम में लिया जावें।
3. कृषक के पास जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पोण्ड, जल हौज या भूमिगत जल स्रोत (अधिकतम 100 मीटर गहराई) की व्यवस्था हो। उक्त जल संग्रहण ढांचों की न्यूनतम संग्रहण क्षमता निम्नानुसार हो –

क्र.सं.	ढांचा	न्यूनतम क्षमता (घन मीटर में)
1.	जल संग्रहण ढांचा	1000
2.	डिग्गी	400
3.	फार्म पोण्ड	1000
4.	जल हौज (सब्जी/बगीचे हेतु)	50
5.	जल हौज (संरक्षित खेती हेतु)	20

4. कृषक द्वारा उच्च उद्यानिकी यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो-टनल्स (न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर) या ड्रिप पर सब्जियाँ/फूल/फलोद्यान/कृषि फसल (न्यूनतम 0.5 है0) लिये जा रहे हो। मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर पर 0.5 है. क्षेत्र में उद्यानिकी/कृषि फसल लेने वाले कृषक भी पात्र होंगे।
5. संरक्षित खेती अपनाने वाले कृषकों को प्राथमिकता से चयनित कर लाभान्वित किया जा सकेगा।
6. सतही जल स्रोत जिसमें डिग्गी, सामुदायिक पोण्ड, जल हौज आदि आते हैं, के लिये तकनीकी रूप से 3 एचपी के सौर उर्जा पम्प संयंत्र ही उचित है। इस कारण सतही जल स्रोत वाले कृषकों को 3 एचपी के सौर उर्जा पम्प संयंत्रों पर ही अनुदान देय होगा।
7. यथासम्भव लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

8. सतही जल स्रोत जिसमें डिग्गी, सामुदायिक पोण्ड, जल हौज आदि पर जो कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार एवं स्वेच्छा से 5 एचपी, 7.5 एचपी या 10 एचपी के सौर उर्जा पम्प सयंत्र लगाना चाहते हैं, ऐसे कृषकों को सौर उर्जा पम्प सयंत्रों पर अनुदान 3 एचपी के पम्प सयंत्र पर देय अनुदान के बराबर होगा। शेष राशि कृषक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा।

सौर पम्प सयंत्र 5 HP

1. कृषक के पास न्यूनतम 1.0 हैक्टेयर या इससे अधिक का भू-स्वामित्व हों।
2. कृषक द्वारा न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर उच्च उद्यानिकी ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो-टनल्स या न्यूनतम 0.75 हैक्टेयर में ड्रिप पर सब्जियाँ/फूल/फलोद्यान/कृषि फसल लिये जा रहे हों।
3. मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर पर न्यूनतम 0.75 हैक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी/कृषि फसल लेने वाले कृषक भी पात्र होंगे।
4. कृषक के पास जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पोण्ड, जल हौज या भूमिगत जल स्रोत (अधिकतम 100 मीटर गहराई) की व्यवस्था हों। उक्त जल संग्रहण ढांचों की न्यूनतम संग्रहण क्षमता निम्नानुसार हो :-

क्र.स.	ढांचा	न्यूनतम क्षमता (घन मीटर में)
1.	जल संग्रहण ढांचा	1500
2.	डिग्गी	800
3.	फार्म पोण्ड	1500
4.	जल हौज (सब्जी/बगीचे हेतु)	75
5.	जल हौज (सरक्षित खेती हेतु)	40

5. संरक्षित खेती अपनाने वाले कृषकों को प्राथमिकता से चयनित कर लाभान्वित किया जा सकेगा।
6. यथासम्भव लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
7. भूमिगत जल स्रोत जिसमें कुआं एवं ट्यूबवैल/नलकूप आदि पर जो कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार एवं स्वेच्छा से 7.5 एचपी या 10 एचपी के सौर उर्जा पम्प सयंत्र लगाना चाहते हैं, ऐसे कृषकों को सौर उर्जा पम्प सयंत्रों पर अनुदान 5 एचपी के पम्प सयंत्र पर देय अनुदान के बराबर होगा। शेष राशि कृषक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा।

3. सौर उर्जा पम्प सयंत्र हेतु प्राथमिकता, संचालन प्रक्रिया एवं अनुदान:-

वर्ष 2017-18 के दिशा-निर्देशानुसार सर्वप्रथम जिला उद्यान कार्यालय में पूर्व में लम्बित ऑन लाईन पत्रावलियों का निस्तारण किया जावे। वर्ष 2017-18 में सौर उर्जा पम्प सयंत्रों पर अनुदान निम्नानुसार देय होगा:-

1. कृषक जिनके द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2016-17 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों पर वर्ष 2016-17 की बाध्यता लागू नहीं होगी) विद्युत विभाग (डिस्कॉम) में आवेदन कर रखा है व कृषक का नाम कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु डिस्कॉम की सूची में है तथा कृषक कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन समर्पित करने को सहमत है ऐसे कृषकों को योजना अन्तर्गत भारत सरकार (MNRE) द्वारा 3 एचपी पर देय 25 प्रतिशत व 5 एचपी पर देय 20 प्रतिशत अनुदान के अलावा आधार लागत का 45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से देय होगा। इस प्रकार कुल देय

अनुदान 3 एचपी सयंत्र पर 70 प्रतिशत व 5 एचपी सयंत्र पर 65 प्रतिशत होगा। इस श्रेणी के कृषकों को संलग्न प्रपत्र— 3 द I में सम्बन्धित डिस्कॉम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा व संलग्न प्रपत्र 2 (ब) पर कृषकों को शपथ पत्र देना होगा।

इस श्रेणी अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची जिला कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्युत विभाग को भेजी जावेगी एवं भविष्य में उन्हें कभी भी अनुदानित कृषि विद्युत कनेक्शन देय नहीं होगा।

2. कृषक, जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है व न ही कृषक द्वारा डिस्कॉम में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2016-17 तक आवेदन किया गया है। ऐसे कृषकों को योजना अन्तर्गत भारत सरकार (MNRE) द्वारा 3 एचपी पर देय 25 प्रतिशत व 5 एचपी पर देय 20 प्रतिशत अनुदान के अलावा आधार लागत का 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से देय होगा। इस प्रकार कुल देय अनुदान 3 एचपी सयंत्र पर 55 प्रतिशत व 5 एचपी सयंत्र पर 50 प्रतिशत होगा। इस श्रेणी के कृषकों को संलग्न— 3 द II में सम्बन्धित डिस्कॉम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा व संलग्न प्रपत्र 2 (ब) पर कृषकों को शपथ पत्र देना होगा।

कृषक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ-पत्र (50 रु. नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प) देना होगा एवं शपथ-पत्र के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा कृषकों की सूची सत्यापन हेतु जिले के डिस्कॉम कार्यालय को भिजवायी जावे। सूची के सत्यापन के आधार पर अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।

इस श्रेणी अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची जिला कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्युत विभाग को भेजी जावेगी एवं भविष्य में उन्हें कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान देय नहीं होगा।

3. कृषक, जिनके पास वर्तमान में कृषि विद्युत कनेक्शन है/ पूर्व में सौर पम्प परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर किया है, उन्हें सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापना पर अनुदान देय नहीं होगा।

4. चयनित जिले एवं लक्ष्य

परियोजना के तहत राज्य के समस्त जिलों हेतु MNRE, भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों अनुसार 5000 सौर उर्जा आधारित पम्प सयंत्र (2500 सौर उर्जा पम्प सयंत्र 3 एचपी एवं 2500 सौर उर्जा पम्प सयंत्र 5 एचपी) स्थापित करवाये जाने प्रस्तावित है। जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन निम्नानुसार है –

कं. सं.	जिला	आवंटित लक्ष्य (संख्या में)											
		3 एचपी				5 एचपी				योग			
		सा	अजा	अजजा	योग	सा	अजा	अजजा	योग	सा	अजा	अजजा	योग
1	अजमेर	40	10	11	61	72	10	11	93	112	20	22	154
2	अलवर	24	6	6	36	24	6	6	36	48	12	12	72
3	बाँसवाड़ा	7	4	6	17	25	5	10	40	32	9	16	57
4	बारां	1	1	1	3	10	0	0	10	11	1	1	13
5	बाड़मेर	40	13	15	68	95	12	15	122	135	25	30	190
6	भरतपुर	2	1	1	4	10	0	0	10	12	1	1	14
7	भीलवाड़ा	33	8	6	47	50	9	7	66	83	17	13	113
8	बीकानेर	330	126	97	553	35	7	0	42	365	133	97	595
9	बूँदी	14	3	3	20	24	4	3	31	38	7	6	51

क्र. सं.	जिला	आवंटित लक्ष्य (संख्या में)											
		3 एचपी				5 एचपी				योग			
		सा	अजा	अजजा	योग	सा	अजा	अजजा	योग	सा	अजा	अजजा	योग
10	चित्तौड़गढ़	25	11	8	44	40	11	9	60	65	22	17	104
11	चुरू	71	24	18	113	92	24	18	134	163	48	36	247
12	दौसा	4	1	1	6	13	1	2	16	17	2	3	22
13	धौलपुर	1	1	1	3	10	1	1	12	11	2	2	15
14	डुंगरपुर	6	3	3	12	21	5	10	36	27	8	13	48
15	हनुमानगढ़	351	58	10	419	25	2	7	34	376	60	17	453
16	जयपुर	15	15	15	45	360	72	85	517	375	87	100	562
17	जैसलमेर	65	19	14	98	50	19	15	84	115	38	29	182
18	जालौर	100	37	21	158	70	30	22	122	170	67	43	280
19	झालावाड़	3	1	0	4	10	1	1	12	13	2	1	16
20	झुंझुनू	13	10	12	35	70	25	13	108	83	35	25	143
21	जोधपुर	25	9	5	39	50	10	5	65	75	19	10	104
22	करौली	1	1	1	3	10	0	0	10	11	1	1	13
23	कोटा	6	1	2	9	25	2	2	29	31	3	4	38
24	नागौर	10	2	2	14	25	3	2	30	35	5	4	44
25	पाली	20	6	5	31	39	6	5	50	59	12	10	81
26	प्रतापगढ़	18	5	3	26	25	5	4	34	43	10	7	60
27	राजसमंद	22	4	3	29	21	4	3	28	43	8	6	57
28	सवाई माधोपुर	14	3	7	24	21	4	8	33	35	7	15	57
29	सीकर	10	6	4	20	56	6	5	67	66	12	9	87
30	सिरोही	25	16	13	54	104	17	14	135	129	33	27	189
31	श्रीगंगानगर	320	85	3	408	31	7	0	38	351	92	3	446
32	टोंक	20	20	20	60	200	55	58	313	220	75	78	373
33	उदयपुर	20	9	8	37	65	10	8	83	85	19	16	120
योग		1656	519	325	2500	1778	373	349	2500	3434	892	674	5000

आवंटित लक्ष्यों के अनुसार किसी जिले विशेष में प्राप्ति/माँग न होने की स्थिति में लक्ष्यों का हस्तांतरण माँग अनुसार अन्य जिलों को किया जा सकेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति में कृषक श्रेणी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को वांछित लाभ प्रदान किया जावे।

5. अनुदान पत्रावलियों के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज—

1. आवेदन-पत्र मय लाभार्थी की पासपोर्ट साईज फोटो (संलग्नक-1)
2. कृषक का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की छाया प्रति
3. कृषक शपथ-पत्र (संलग्नक-2 अ एवं 2 ब)
4. आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण-पत्र (संलग्नक -3 ब)
5. सौर पम्प हेतु कार्यदायी फर्म द्वारा तकनीकी रिपोर्ट (संलग्नक -3 स)
6. सम्बन्धित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की सूची में अंकन होने या न होने का प्रमाण-पत्र (संलग्नक -3 द I, II)
7. भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)
8. सिंचाई स्रोत
9. त्रि-पार्टी अनुबन्ध (संलग्नक-4)
10. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म का बिल/ प्रफोर्मा इनवॉइस/ कॉटेशन एवं डिजाईन मेप

6. पम्प क्षमता निर्धारण व तकनीकी मापदण्ड

1. 0.5 हैक्टेयर व इससे अधिक का भू स्वामित्व : 3 HP

2. 1.00 हैक्टेयर व इससे अधिक का भू-स्वामित्व : 5 HP
3. अधिक भू-स्वामित्व के कृषकों द्वारा कम क्षमता पम्प की मांग होने पर तदानुसार क्षमता का संयंत्र दिया जा सकता है।
4. संयंत्रों के तकनीकी मापदण्ड एवं विभिन्न पम्पस् वांछित जल डिस्चार्ज मापदण्ड एमएनआरई के वर्ष 2017-18 के दिशा-निर्देशानुसार एवं ईओआई की शर्तों (स्कोप ऑफ वर्क) के अनुसार रहेंगे।
5. राज्य के डार्क जोनस् में सर्वे के अनुसार पूर्व में स्थापित नलकूप / कुओं पर ही सौर उर्जा पम्प संयंत्र देय होंगे। नए नलकूप / कुओं हेतु सक्षम स्तर पर अनुमति लिये जाने के उपरान्त ही सौर उर्जा पम्प संयंत्र की पत्रावली ली जावेगी।
6. सतही जल स्रोत जिसमें डिग्गी, सामुदायिक पोण्ड, जल हौज आदि के लिये तकनीकी रूप से 3 एचपी के सौर उर्जा पम्प संयंत्र सही कार्य करते हैं, इस कारण से सतही जल स्रोतों पर 3 एचपी के सौर उर्जा पम्प संयंत्र ही स्थापित करवाये जावेगे।
7. कृषक का खेत जहां पर वह सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाना चाहता है, वह ग्रिड (पावर हाउस) से कम से कम 300 मीटर दूरी पर होना आवश्यक है।

7. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्मस् का चयन प्रक्रियाधीन है जो कि शीघ्र सूचित किया जावेगा।

8. अनुदान

1. सोलर पम्प परियोजना हेतु आधार दर का 70/65/55/50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
2. परियोजना के तहत जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JLNNSM) से देय अनुदान वर्ष 2017-18 हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार द्वारा 3 एचपी पर 25 प्रतिशत व 5 एचपी पर 20 प्रतिशत अनुदान देय है एवं 3 एचपी व 5 एचपी के संयंत्रों पर राज्य योजना अन्तर्गत 30/45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा।
3. अनुदान का कृषक श्रेणीवार विस्तृत विवरण दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 3 पर दिया गया है।
4. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार के वर्ष 2017-18 के दिशा-निर्देशानुसार सौर उर्जा पम्प संयंत्रों पर अनुदान केवल उन्हीं कृषकों को दिया जाना प्रस्तावित है जिनके पास डीजल पम्प सेट है या ऊर्जा का अन्य कोई स्रोत सिंचाई हेतु नहीं है। जिन कृषकों के पास पूर्व में कृषि विद्युत कनेक्शन है / पूर्व में सौर पम्प परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है उन्हें कोई अनुदान देय नहीं होगा।

9. आधार दर

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आधार दरों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा शीघ्र ही आधार दर जारी कर दी जायेगी।

10. अनुदान प्रक्रिया

1. सोलर पम्प सेट हेतु उद्यान विभाग या RHDS से सूचीबद्ध/अनुमोदित फर्म द्वारा स्थापना पर ही अनुदान देय होगा।
2. कृषक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि/ उद्यान विभाग कार्यालय में स्वयं/कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/बैंक/ आपूर्तिकर्ता डीलर/आपूर्तिकर्ता फर्म के माध्यम से प्रेषित किया जावें। आपूर्तिकर्ता चयन सम्बन्धित कृषक स्तर से किया जावेगा।
3. आवेदन के समय कृषक द्वारा पम्प क्षमता/ माउन्टिंग ढांचे का प्रकार (मेन्यूअल ट्रेकर /ऑटो ट्रेकर) तथा फेन्सिंग अनिवार्य एवं डोमेस्टिक लाईटिंग सिस्टम का विकल्प आवश्यक रूप से प्रदान किया जायेगा।
4. राज्य के डार्क जोनस् में पूर्व में स्थापित नलकूप/कुओं पर ही सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर अनुदान देय होगा।
5. कृषक द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के अलावा पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/ कृषि विद्युत कनेक्शन नही होने का शपथ-पत्र 50 रु. नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प (50/55 प्रतिशत अनुदान श्रेणी के लिए) निर्धारित प्रपत्र में सलग्न करना होगा, ताकि संयंत्र स्थापना प्रक्रिया में विलम्ब ना हो।
6. जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना के अन्तर्गत चयनित कृषको को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा एवं कृषको की सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
7. अनुमोदित सूची के अनुसार जिला होर्टिकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (DHDS) द्वारा चयनित कृषक से आपूर्तिकर्ता कार्यदायी फर्म का कोटेशन प्रस्तुत करने के उपरान्त, प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र (संलग्न 5) मे निकाली जावेगी। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति तत् दिवस को उद्यान निदेशालय, खण्डीय उप निदेशक उद्यान व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रेषित की जावेगी।
8. प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत कृषक हिस्सा राशि कृषक द्वारा केवल जिला होर्टिकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (DHDS) को जमा कराई जायेगी। इस दौरान संयंत्र प्रदाता द्वारा साईट का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जावेगा।
9. चयनित कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि, केवल जिला होर्टिकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (DHDS) को जमा कराने के उपरांत DHDS स्तर से कार्यादेश जारी किया जायेगा (संलग्नक -6)।
10. सम्बन्धित जिला इकाई द्वारा कार्यादेश के साथ जारी कृषक हिस्सा राशि (बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर) का स्वीकृति क्रमांक, दिनांक एवं राशि का विवरण कार्यादेश में अंकित किया जावें।
11. सम्बन्धित जिला इकाई द्वारा कार्यदायी फर्म के पक्ष में कार्यादेश जारी करने उपरांत कार्यदायी फर्म द्वारा (अधिकतम 45 दिवस) माल-आपूर्ति की जावेगी।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय को सामान-आपूर्ति का सत्यापन कर सूचना निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 7-I & II) मे भिजवाना होगा ताकि सामान-आपूर्ति का अनुदान भुगतान किया जा सकें।
13. सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्थापन कार्य (कार्यादेश जारी होने के 45 दिवस में आपूर्ति व 20 दिन में स्थापन्न कार्य) सम्पन्न करना होगा।

14. DHDS स्तर से संयंत्र स्थापना के 7 दिवस में संयंत्र का निर्धारित प्रपत्र अनुसार भौतिक सत्यापन किया जावे (संलग्न 8 I & II)। भौतिक सत्यापन की आवश्यकता के अनुसार निदेशालय स्तर से अतिरिक्त दलों का गठन किया जा सकेगा।
15. भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संबंधित जिला इकाईयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट- 9, 8 I & II) में निदेशालय को प्रस्तुत की जावेगी। जिससे अंतिम चरण का अनुदान भुगतान सम्पन्न किया जा सके।
16. सौर उर्जा पम्प परियोजना के प्रचार- प्रसार को बढ़ावा देने व तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजहंस नर्सरी/सरकारी कृषि फार्म पर भी सौर पम्प स्थापित करने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा।

11. कृषक हिस्सा एवं अनुदान राशि का भुगतान

1. भुगतान – DHDS/उद्यान निदेशालय द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 2 चरणों में किया जावेगा –
 - (अ) कार्यादेश के साथ DHDS (जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी) में जमा कृषक हिस्सा राशि का अग्रिम भुगतान केवल 90 दिन की बैंक गारन्टी के विरुद्ध ही देय होगा। सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा 90 दिन की बैंक गारन्टी कृषक हिस्सा राशि के बराबर जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी के नाम जिला कार्यालय में जमा करवानी होगी।
सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक गारन्टी नहीं देने पर कृषक हिस्सा राशि का भुगतान सौर उर्जा पम्प संयंत्र की माल आपूर्ति पर DHDS (जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी) द्वारा किया जावेगा।
 - (ब) संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र के पांच वर्ष सही संचालन की गारन्टी के पेटे संयंत्र लागत की 10 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में उद्यान निदेशालय को प्रस्तुत करने पर एवं कृषक के खेत पर माल-आपूर्ति उपरांत उद्यान निदेशालय द्वारा संयंत्र की आधार लागत का राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान (45/30 प्रतिशत) का भुगतान देय होगा।
माल-आपूर्ति पर अधिकतम भुगतान, आधार लागत का 80 प्रतिशत तक, जो कि कृषक हिस्सा राशि (DHDS द्वारा देय) एवं अनुदान राशि (RHDS द्वारा देय) को मिलाकर हो सकता है।
 - (स) अंतिम भुगतान जो कि आधार लागत का 25/20 प्रतिशत होगा (जेएनएनएसएम मद से MNRE के दिशा-निर्देशानुसार) उद्यान निदेशालय द्वारा निम्नानुसार सौर उर्जा पम्प संयंत्र की सफल स्थापना उपरांत देय होगा :-
 1. कृषक खेत पर सफलता पूर्वक संयंत्र स्थापन कार्य पूर्ण करने पर।
 2. निर्धारित दल द्वारा सौर उर्जा पम्प संयंत्र का भौतिक सत्यापन करने पर।

12. भौतिक सत्यापन

1. माल-आपूर्ति व सफलतापूर्वक स्थापन कार्य का भौतिक सत्यापन 7 दिवस में किया जावे।
2. माल-आपूर्ति का भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक/ उपनिदेशक स्तर के कम से कम एक अधिकारी द्वारा किया जावे।

3. कृषि पर्यवेक्षक द्वारा माल-आपूर्ति का भौतिक सत्यापन करने पर सहायक निदेशक / उपनिदेशक स्तर के कम से कम एक अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जावें।
4. स्थापित संयंत्र के भौतिक सत्यापन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जावेगा। इसमें कृषि / उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी स्तर या इससे उपर के दो अधिकारी तथा एक सदस्य अभियन्ता RRECL /उर्जा विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / जिला कलेक्टर द्वारा नामित सहायक अभियन्ता /RHDS द्वारा नामित होगा।
5. भौतिक सत्यापन यथासम्भव उपनिदेशक कृषि / उद्यान या सहायक निदेशक कृषि / उद्यान की उपस्थिति में हो।
6. स्थापित सौर उर्जा पम्प संयंत्र की फोटो में भौतिक सत्यापन दिनांक अंकित करें एवं सौर उर्जा पम्प संयंत्र की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के साथ सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की फोटों भी सत्यापित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. भौतिक सत्यापन हेतु सहायक कृषि अधिकारी स्तर के साथ इससे उपर के कृषि विभाग / जिला परिषद् के अधिकारी भी अधिकृत होंगे।
8. कार्य अधिकता एवं कार्य को गति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ इस हेतु RHDS स्तर से विशेषज्ञ सेवायें हायर की जा सकती है।

13. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के दायित्व

1. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के अधिकृत इंजिनियर द्वारा कृषक का विस्तृत सर्वे किया जाकर संयंत्र स्थापन का तकनीकी ड्राइंग / डिजाइन तैयार किया जावेगा।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को संयंत्र संचालन एवं रखरखाव का मैनुअल प्रदान किया जावेगा एवं संयंत्र के समग्र बिन्दुओं पर कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।
3. डिजाइन के अनुसार सिविल कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।
4. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के मॉड्यूल माउंटिंग ढांचे की डिजाइन प्रचलित वायु, वेग, लोड को तकनीकी रूप से सहन करने योग्य हो।
5. सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना से पूर्व सम्बन्धित कम्पनी द्वारा कृषक के पानी के जल स्तर / उपलब्धता का निर्धारण अपने विशेषज्ञ से करवाकर यह सुनिश्चित करेगी की किस क्षमता का पम्प सैट लगाया जावें, पम्प का चुनाव / स्थापन उपरान्त निर्धारित मात्रा में पानी का डिस्चार्ज नही होने पर कम्पनी की जिम्मेदारी होगी। (संलग्न- 3स)
6. संयंत्र के पार्ट्स जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन के मापदण्डों के अनुसार होंगे।
7. सौर पेनल / मॉड्यूल 200 WP या इससे अधिक क्षमता के होंगे।
8. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक आपूर्ति किये जाने वाले मॉड्यूल / पेनल का IV-Curve DHDS को प्रस्तुत करेगा।
9. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले संयंत्र में या साथ रिमोट मोनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
10. आपूर्तिकर्ता माल का पूर्ण विवरण व मापदण्ड, डिजाइन व तकमिना सम्बन्धित जिला इकाई को उपलब्ध कराना होगा।
11. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा निदेशालय स्तर के दल से प्री-डिस्पेंच निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
12. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा प्री-डिस्पेंच निरीक्षण के लिये 15 दिवस पूर्व निदेशालय को सूचित करना होगा व MNRE के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार व EOI (ईओआई) की

- शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों के आपूर्ति किये जाने वाले सामान की टेस्ट-रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
13. Outsourcing किए गये सामान के स्रोत की स्पष्ट जानकारी सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जायेगी।
 14. कार्यादेश / प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस में संयंत्र माल आपूर्ति एवं 20 दिवस में स्थापन कार्य सम्पन्न करना होगा। निर्धारित अवधि में बिना किसी युक्ति संगत कारण के विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार पैनल्टी अंतिम भुगतान में (45+20=65) लागू होगी।
 15. संयंत्र की पांच वर्ष की गारण्टी तथा इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष हेतु विक्रय पश्चात् सेवा (After sales service) प्रदान की जावेगी।
 16. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा कृषक के खेत पर स्थापित सोलर पम्प संयंत्र की फेन्सिंग (निर्धारित मापदण्ड अनुसार) का कार्य एवं बीमा करवाया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बीमा से सम्बन्धित प्रक्रिया में देरी होने की स्थिति में स्वयं अपने स्तर पर कृषक की समस्या का समाधान 7 दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
 17. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स (RHDS/DHDS/कृषक) को सर्विस सेंटर की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
 18. संयंत्र संचालन व रखरखाव सम्बन्धी साहित्य पुस्तिका (मैनुअल) जो कि कृषक सुलभ हिन्दी भाषा में हो, लाभार्थियों को प्रदान की जावेगी।
 19. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कस्टमर केयर सेन्टर स्थापित किया जावेगा तथा टोल फ्री नंबर की जानकारी प्रत्येक स्टेक होल्डर को उपलब्ध करानी होगी।
 20. विगत वर्षों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित कुल संयंत्रों की संख्या जिला विशेष में 100 या इससे अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला मुख्यालय पर कस्टमर केयर सेन्टर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। इस केन्द्र पर कम से कम एक तकनीकी व्यक्ति रखा जायेगा जिसके नाम, मोबाईल नम्बर व पता सम्बन्धित जिला इकाई, लाभार्थी व वेबसाईट पर उपलब्ध कराना होगा।
 21. अगर कार्यदायी फर्म द्वारा राजस्थान में विगत वर्षों सहित चालू वित्तीय वर्ष तक 500 या इससे अधिक संयंत्र कर लिये हैं तो जयपुर मुख्यालय पर कस्टमर केयर सेन्टर स्थापित करना होगा जिसमें कम से कम 5 तकनीकीकर्मि होंगे। इनके नाम, मोबाईल नम्बर व पते सम्बन्धित कृषक, जिला इकाई, मुख्यालय तथा वेबसाईट पर उपलब्ध कराना होगा।
 22. स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों के डाटा आवश्यकतानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने होंगे। ये डाटा प्रत्येक महीने के प्रथम दिवस तथा नये संयंत्र स्थापन के दस दिवस में आवश्यक रूप से अद्यतन (अपडेट) किया जावेगा।
 23. कार्यदायी फर्म द्वारा स्थापित संयंत्रों का प्रत्येक तिमाही (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर व जनवरी-मार्च) के दौरान निरीक्षण करना होगा तथा इसकी सूचना जिला इकाई को प्रस्तुत करनी होगी।
 24. कार्यदायी फर्म द्वारा कृषकों को रखरखाव (मेन्टीनेंस) व योजना सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जावेगी।
 25. कार्यदायी फर्म के स्तर से रखरखाव सम्बन्धी Clauses की गम्भीरता से पालना सुनिश्चित की जावेगी। जिससे लाभार्थियों को संयंत्र में किसी प्रकार के फाल्ट की स्थिति में इधर-उधर चक्कर न काटना पड़े।

26. किसी प्रकार के फाल्ट की सूचना डाक, टेलीफोन, फ़ैक्स, ई-मेल या अन्य तरीके से प्राप्त होने की स्थिति में तीन कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से साईट भ्रमण आदि जरिये से इस पर कार्यवाही की जावेगी।
27. कार्यदायी फर्म से अपेक्षा की जाती है कि वह समुचित मात्रा में स्पेयर पार्ट का स्टॉक रखे जिससे की संयंत्र शिकायत के 5 दिवस में आवश्यक रूप से पुनः चालु किया जा सकें।
28. संयंत्रों के रखरखाव कार्य के विफलता की स्थिति में फर्म की बैंक गारण्टी रिवोक की जा सकेगी तथा पॉच या इससे अधिक संयंत्रों के रखरखाव की विफलता पर फर्म को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके निर्णय का अंतिम अधिकार मिशन निदेशक, या सदस्य सचिव, RHDS को होगा।

14. कृषक के दायित्व

1. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा HDS कार्यालय में प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त कृषक हिस्सा राशि जमा करवाना।
2. संयंत्र की माल आपूर्ति एवं स्थापन हेतु स्थल (छाया रहित कम से कम 60 वर्ग.मी.) एवं जल स्रोत उपलब्ध करवाना।
3. भौतिक सत्यापन व अन्य निरीक्षण के समय लाभार्थी यथासम्भव स्वयं या अन्य परिवार के जिम्मेदार सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
4. संयंत्र का बीमा कार्यदायी फर्म द्वारा करवाया जायेगा। सौलर पम्प संयंत्र के उचित रख-रखाव एवं सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी कृषक की होगी।
5. स्थापित सौर पम्प संयंत्र का संचालन कृषक द्वारा विद्युत/बिजली कनेक्शन से नहीं किया जावेगा, पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. कृषक द्वारा संयंत्र के खुर्द-बुर्द करने की स्थिति में सम्बन्धित कृषक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा संयंत्र हेतु जारी की गई अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
7. त्रि-पार्टी अनुबन्ध।

15. योजना की रिमोट मॉनिटरिंग –

योजना की मॉनिटरिंग हेतु एमएनआरई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र स्थापना के साथ रिमोट मोनेटरिंग सिस्टम आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सौर उर्जा पम्प स्थापना का आवश्यक अंग होगा व इसके बिना सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुदान देय नहीं होगा। राज्य एवं जिला स्तर पर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से पम्प संचालन सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं की मॉनिटरिंग हेतु पासवर्ड सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा विभाग को उपलब्ध कराने होंगे।

(Provision for remote monitoring of the installed pumps must be made in the controllers or the inverters either through an integral arrangement or through an externally fitted arrangement. It should be possible to ascertain the daily water output, the power generated by the PV array, the UP TIME of the pump during the year, Number of days the pump was unused or under breakdown/repairs.)

आवेदन –पत्र 2017-18

प्रेषित –

सदस्य सचिव

जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी,

जिला

पासपोर्ट साईज
फोटो

विषय :- सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र (सरफेस/सबमर्सिबल) 3 HP/5 HP/7.5 HP/10 HP क्षमता हेतु आवेदन

महोदय,

1. मैं मेरे खेत पर उपरोक्तानुसार सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र उच्च उद्यानिकी (शैडनेट हाउस/ग्रीन हाउस/लो-टनल /फोगर्स) व जल संग्रहण ढाचा/ भूमिगत जल स्रोत पर ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन/राज्य योजना के तहत RHDS के माध्यम से अनुदान पर स्थापित कराना चाहता हूँ। मेरा सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है –

1.	लाभार्थी का आधार नम्बर	
2.	लाभार्थी का भामाशाह नम्बर	
3.	लाभार्थी का नाम	
4.	पिता/पति का नाम	
5.	श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	
6.	गाँव/ग्राम पंचायत	
7.	दूरभाष नंबर	
8.	पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नं. सहित	
9.	पंचायत समिति	
10.	तहसील	
11.	जिला	
12.	भूमि स्वामित्व (हैक्टेयर में)	
13.	खसरा नंबर (दस्तावेज संलग्न करें)	
14.	सिंचाई स्रोत (दस्तावेज संलग्न करें)	
15.	कृषि विद्युत कनेक्शन का बिल (होने पर दस्तावेज संलग्न करें)	

16.	भू-जल स्तर (मीटर में)	
17.	क्षेत्र (वर्गमीटर में) एवं स्थापना वर्ष 1. ग्रीन हाऊस 2. शैडनेट हाऊस 3. लो-टनल 4. ड्रिप/ मिनी स्प्रिंकलर/ स्प्रिंकलर 5. जल संग्रहण ढांचा 6.	
18.	संयंत्र स्थापना हेतु चयनित फर्म का नाम	
19.	माउन्टिंग ढांचे का प्रकार विकल्प	(मेन्यूअल ट्रेकर/ऑटो ट्रेकर)
20.	जल स्रोत जिस पर सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र लगाना है	सतही जल संयंत्र ढांचा/ कुआं/ ट्यूबवैल (गहराई मीटर)
21.	जल स्रोत की गहराई (मीटर में.....)	

- मैं सत्यापित करता हूँ कि इस सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र का उच्च उद्यानिकी – ड्रिप सिंचाई / मिनी स्प्रिंकलर / स्प्रिंकलर / फोगर्स सिंचाई हेतु उपयोग करूंगा तथा इसका बेचान या हस्तांतरण आगामी 10 वर्ष तक नहीं करूंगा।
- मैं आपकी संस्था के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एवं RHDS के साथ स्थापित त्रि-पार्टी अनुबंध की शर्तों का पालन करूंगा। संयंत्र स्थापन हेतु आवश्यक बोरवेल / संग्रहण ढांचे की व्यवस्था मेरी स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराई जायेगी।

घोषणा:- उक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। दिशानिर्देशानुसार मैं स्वयं अनुदान का उपयोग करूंगा एवं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैंने पूर्व में इस योजना अन्तर्गत किसी प्रकार का अनुदान नहीं लिया है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(लाभार्थी का नाम)

- संलग्न –
- जमाबन्दी / पासबुक / जल स्रोत की छाया प्रति।
 - आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
 - विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
 - कृषक शपथ पत्र (50 रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प)
 - अन्य आवश्यक दस्तावेज

हाईटेक उद्यानिकी / कृषि हेतु सौर जल पम्पिंग निर्माण कराने वाले कृषक द्वारा
शपथ-पत्र

1. मुझे हाईटेक हॉट्रीकल्चर (उच्चतम उद्यानिकी तकनीक) / कृषि की जानकारी है एवं मैं इसे अपनाने को इच्छुक हूँ।
2. मेरे पास भू-स्वामित्व है।
3. मेरे पास सिंचाई की स्थाई सुविधा है। सौर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढांचे की व्यवस्था मेरे पास है।
4. मैं विभागीय दिशा-निर्देशानुसार / मापदण्डानुसार सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से सौर पम्प स्थापित करने में इच्छुक / प्रतिबद्ध हूँ।
5. मैं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व / विभाग के निर्देशानुसार मेरी कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के लिये सहमत / प्रतिबद्ध हूँ।
6. मैं सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में लूंगा एवं इसकी सुरक्षा, संरक्षा एवं सामान्य रखरखाव करूंगा।

कृषक के हस्ताक्षर

कृषक का नाम

पता : ग्राम :

पंचायत समिति :

तहसील :

जिला :

दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0

सौर उर्जा पम्प पर राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान हेतु
कृषक द्वारा शपथ-पत्र (स्वयं प्रमाणित)
(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर)

1. मैं कृषक श्रीपुत्र श्री.....निवासी.....द्वारा विद्युत विभाग में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2016-17 में (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों पर वर्ष 2016-17 की बाध्यता लागू नहीं होगी) विद्युत विभाग (डिस्कॉम) में आवेदन कर रखा है एवं सम्बन्धित डिस्कॉम की कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की वर्ष 2016-17 की सूची में क्रमांक न0पर मेरा नाम है। मैं उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत 45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन समर्पित करने को सहमत हूँ एवं विद्युत विभाग द्वारा इस आशय का जारी प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में कभी भी मैं अनुदानित कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग विद्युत विभाग से नहीं करूंगा।

या

2. मैं कृषक श्रीपुत्र श्री.....निवासी..... घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है व ना ही मेरे द्वारा डिस्कॉम में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2016-17 तक आवेदन किया गया है। मैं उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करना चाहता हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान नहीं दिया जावे।

नोट - 45 प्रतिशत अनुदान हेतु डिस्कॉम से जारी कृषि कनेक्शन आवेदन प्राप्ति रसीद संलग्न करें।

कृषक हस्ताक्षर

कृषक का नाम
पता : ग्राम :
पंचायत समिति :
तहसील::
जिला :
दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0

कृषक हिस्सा राशि

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन एवं राज्य योजनान्तर्गत 3/5/7.5/10 HP एस पी वी सौर पम्प स्थापित कराने के लिये वांछित कृषक हिस्सा राशि रु..... मेरे द्वारा DD/ ECS/ RTGS द्वारा सदस्य सचिव, DHDS के पक्ष में जमा कराने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

कृषक नाम व पता

आवेदन पात्रता सत्यापन/प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्रीपुत्र/ पत्नि श्री.....
निवासी.....के खसरा नं०.....में सिंचाई स्त्रोत.....स्थापित
है तथा कृषक भू- स्वामित्वहै० का है जिसमेंहै० क्षेत्र में
ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर सिंचाई से सब्जियों/फूल/फलोद्यान/कृषि फसल ली जा
रही है यावर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस/शेड हाउस/लो-टनल्स में
सब्जियों/फूलों की खेती की जा रही है एवं कृषक के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है व
कृषक का खेत जहां पर वह सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापित करवाना चाहता है, वह ग्रिड
(पावर हाउस) से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर है।

कृषक सौर उर्जा आधारित पम्प सयंत्र स्थापित करने के लिये पात्र है।

कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी /

कृषि अधिकारी

सौलर पम्प हेतु कार्यदायी फर्म द्वारा तकनीकी रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री.....पुत्र श्री.....
गांवतहसील.....जिला.....
के पास उपलब्ध जल स्रोत व सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की गहनता से जांच कर ली है। कृषक को
उपलब्ध करवाया जाने वाला सौलर पम्प जल स्रोत में पानी की उपलब्धता व हैड
आवश्यकतानुसार है। पम्प की क्षमता/तकनीकी कमी के लिए कार्यदायी फर्म पूर्ण रूप से
जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर कार्यदायी फर्म

विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन प्रमाण- पत्र
(राज्य योजना से 45 प्रतिशत अनुदान हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्रीपुत्र श्री.....
निवासी.....द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में वर्ष 2016-17
तक आवेदन कर रखा है (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों पर वर्ष
2016-17 की बाध्यता लागू नहीं होगी) एवं सम्बन्धित डिस्कॉम की कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त
करने की सूची में क्रमांक न0 पर नाम है इसके साथ ही कृषक द्वारा उद्यान विभाग
से सौर उर्जा पम्प संयंत्र पर अनुदान हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन समर्पित कर दिया है।
कृषक को विद्युत विभाग द्वारा भविष्य में कभी भी अनुदानित कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिया
जावेगा।

नोट - 45 प्रतिशत अनुदान हेतु डिस्कॉम से जारी कृषि कनेक्शन आवेदन प्राप्ति रसीद संलग्न करें।

अधिशायी / सहायक अभियंता
डिस्कॉम :

विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में प्रमाण- पत्र
(राज्य योजना से 30 प्रतिशत अनुदान हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्रीपुत्र श्री.....
निवासी..... के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है व ना ही कृषक द्वारा
डिस्कॉम में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2016-17 तक आवेदन किया गया है।

अतः कृषक द्वारा उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प संयंत्र पर अनुदान प्राप्त करने पर उसे
भविष्य में विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।

अधिशायी/सहायक अभियंता

डिस्कॉम :

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन एवं राज्य योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट स्थापना हेतु अनुबंध

(500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर)

प्रपत्र

(कृषक द्वारा वहन किया जावे)

त्रि-पार्टी अनुबंध

(ऋणी/अऋणी कृषक)

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक 2017-18, स्थान....., जिला....., को एच.डी.एस.....(प्रतिनिधि श्री), कृषक श्री/श्रीमती....., गाँव..... तहसील.....जिला..... राजस्थान एवं सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म मैसर्स (प्रतिनिधि श्री), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमें निम्न शर्तें संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

1. कृषक अनुदान पर सोलर पम्प लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं। अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक की मॉग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र का रूप-रेखा (डिजाईन) तैयार किया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाईन) के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये हैं। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जाकर पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की गई है। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
3. कृषक वांछित क्षेत्र जिस पर सोलर पम्प निर्माण किया जाना है निश्चित समयावधि में पूर्ण/ तैयार करने हेतु सहमत हैं।
4. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रफोर्मा इनवाइस प्रस्तुत करने, त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने एवं कार्यादेश जारी होने पर एवं संयंत्र आपूर्ति पर डी.एच.डी.एस. द्वारा दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
5. कृषक आपूर्तिकर्ता/ कम्पनी को सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा एवं कृषक द्वारा स्थापित सौर पम्प संयंत्र का संचालन विद्युत/बिजली कनेक्शन द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म द्वारा 45+20=65 दिन की समयावधि में सोलर पम्प सेट की स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा।
7. अनुमोदित फर्म द्वारा एचडीएस को लिखित रूप में सोलर पम्प सेट स्थापना की सूचना देनी होगी, जिससे कि एचडीएस 7 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
8. सोलर पम्प सेट स्थापना हेतु अधिकृत फर्म भौतिक सत्यापन और प्रयोगिक परीक्षण एचडीएस/ अधिकृत संस्था से करायेगी एवं संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान देय होगा।
9. एचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टी के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
10. भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के उपरांत सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म सोलर पम्प सेट कृषक को सुपुर्दगी कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ती रसीद देनी होगी।
11. अनुमोदित सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म 45 दिन के भीतर संयंत्र नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अन्य सूचीबद्ध सप्लायर को चुनने के लिये स्वतंत्र होगा।
12. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म, कृषक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म को अऋणी प्रकरणों में शेष रही राशि का भुगतान किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में एच.डी.एस./संबंधित बैंक द्वारा शेष अनुदान/कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
13. सोलर पम्प सेट लगने के 10 वर्ष की अवधि तक कृषक उसमें बदलाव, हटाना या किसी के बेचना व खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। यदि ऐसा किया गया तो देय अनुदान वसूली योग्य होगा।
14. सोलर पम्प सेट का बीमा सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता स्तर से कराया जावेगा।

15. सौलर पम्प सैट की सुरक्षा एवं संरक्षा सम्बन्धित कृषक स्तर से कराया जावेगा। संयंत्र के सौर पैनल या अन्य अवयव चोरी होने की स्थिति में लाभार्थी कृषक द्वारा अविलम्ब विभाग को सूचित करते हुए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रपट दर्ज करानी होगी।
16. एचडीएस या सौलर पम्प सैट कार्यदायी फर्म कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
17. कार्यदायी फर्म द्वारा पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी एवं इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष तक विक्रय पश्चात् सेवा प्रदान की जावेगी।
18. सौलर पम्प सैट कार्यदायी फर्म के अनुबन्धित समयावधि में कोई बनावट संबंधी विकार या अन्य बनाते समय रही कमी में कलपूजों की बिना किसी शुल्क के बदलना होगा।
19. सौलर पम्प सैट कार्यदायी फर्म से रिपेयर/बदलने हेतु 7 कार्य दिवस का समय दिया जायेगा। इस कार्य हेतु लिखित में किसान की ओर से शिकायत/प्रार्थना एचडीएस को प्रस्तुत करनी होगी। सामान बदलने का कार्य 7 दिवस में करना होगा ताकि कार्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
20. संयंत्र की फिटिंग सामग्री, पार्ट जो कि गारण्टी के अधीन नहीं आते एचडीएस की अनुमोदित दर/बाजार दर के अनुसार ऐसे अवयवों का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जावेगा।
21. सौलर पम्प सैट कार्यदायी फर्म कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन ले-आउट कार्य उपलब्ध करायेगा, एवं रख रखाव संबंधी तकनीकी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
22. सौलर पम्प स्थापित करने वाली फर्म द्वारा प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था की जावेगी, वर्ष में कुल 2 प्रशिक्षण कार्य होंगे।
23. सौर उर्जा पम्प संयंत्रो पर अनुदान 3 व 5 एचपी तक के संयंत्रो पर ही देय होगा। कृषक द्वारा पात्रता से अधिक एचपी का संयंत्र स्वेच्छानुसार स्थापित करवाने पर अतिरिक्त कृषक हिस्सा राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

एच.डी.एस प्रतिनिधि

सौलर पम्प कार्यदायी फर्म

कृषक

गवाह

सम्बन्धित कार्यालय का नाम

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18/

दिनांक

राज्य योजना / जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आदेश 2017-18

राज्य योजना/जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत उद्यान निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना में निम्न कृषकों का सोलर पम्प सेट स्थापन हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर कृषकों के नाम के आगे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क. सं.	आधार न0	कृषक का नाम मय पिता /पति	ग्राम	तहसील	जिला	सूची क्रमांक	श्रेणी GEN/ SCP/ TSP	भू-स्वामित्व (है0)	विद्युत विभाग प्रमाण पत्र क्रमांक /दिनांक	आवेदन 3/5/7.5/10 एचपी	हैड 20/50/75/100 मी.	AC/D C	Surface / Submer. Pump	मैन्युअल/ ऑटो ट्रेकर	डोमेस्टिक लाईटिंग सिस्टम (हों /नहीं)	फेन्सिंग (हों /नहीं)	देय अनुदान 3/5 एचपी	सांकेतिक ईकाई लागत	देय राज सहायता/अनुदान (रु.)			फर्म का नाम
																			MNRE (25/20%)	State Plan (30/45%)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
योग																						

सदस्य सचिव, DHDS

दिनांक

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
- अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि0, जिला
- सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार/ सहायक निदेशक कृषि /उद्यान
- सम्बन्धित फर्म मै.
- सम्बन्धित कृषक श्री.....
- आरक्षी पत्रावली

सदस्य सचिव, DHDS

सम्बन्धित कार्यालय का नाम

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18/

दिनांक

राज्य योजना/ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट अनुदान हेतु कार्यादेश 2017-18

राज्य योजना /जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत उद्यान निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना एवं जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्न कृषकों का सोलर पम्प सेट स्थापन हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर कृषकों / फर्म के नाम के आगे अंकित कार्यादेश निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	आधार नं०	कृषक का नाम मय पिता /पति	ग्राम	तहसील	जिला	सूची क्रमांक	श्रेणी GEN/SCP/TSP	विद्युत विभाग प्रमाण पत्र क्रमांक /दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	आवेदन 3/5/7.5/10 एचपी	हैड 20/50/75/100 मी.	AC/DC	Surface / Submercible Pump	मैन्युअल/ऑटो ट्रेकर	डोमेस्टिक लाईटिंग सिस्टम (हॉ/नहीं)	फेसिंग (हॉ/नहीं)	देय अनुदान 3/5 एचपी	कुल अनुदान संस्तुति प्रतिशत (55/70/50/65)	सांकेतिक ईकाई लागत	देय राज सहायता/अनुदान (रु.)			जारी कृषक हिस्सा राशि विवरण			फर्म का नाम
																				MNRE (25/20%)	State Plan (45%/30%)	योग	युटीआर/चैक /डीडी नं. /दिनांक	राशि रु.	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक /दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
योग																										

सदस्य सचिव, DHDS

दिनांक

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
- अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि०, जिला
- सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार/ सहायक निदेशक कृषि /उद्यान
- सम्बन्धित फर्म मै
- सम्बन्धित कृषक श्री.....
- आरक्षी पत्रावली

सदस्य सचिव, DHDS

सम्बन्धित कार्यालय का नाम

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18/

दिनांक

राज्य योजना/ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट अनुदान हेतु सामान आपूर्ति-रिपोर्ट 2017-18

राज्य योजना/ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत उद्यान निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना एवं जारी प्रशासनिक स्वीकृति/ कार्यादेश के क्रम में निम्न कृषकों के सोलर पम्प सेट स्थापन हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा सामान की आपूर्ति अंकित अनुसार कर दी गई है। अतः इस हेतु सामान-आपूर्ति अनुदान के भुगतान की संस्तुति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	आधार नं०	कृषक का नाम मय पिता /पति	ग्राम	तहसील	जिला	सूची क्रमांक	श्रेणी GEN/SCP/ TSP	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	कार्यादेश क्रमांक/ दिनांक	आवेदन 3/5/7. 5/10 एचपी	हैड 20/50 /75/100 मी.	AC/DC	Surface / Submercible Pump	देय अनुदान 3/5 एचपी	कुल अनुदान संस्तुति प्रतिशत (55/70 /50/65)	आपूर्ति सामान का विवरण							कार्यादेश अनुसार ईकाई लागत (रु)	पूर्व में कृषक हिस्सा का भुगतान (हाँ/नहीं)	जारी कृषक हिस्सा राशि विवरण			फर्म का नाम
																सौर पैनल/ मोड्यूल (क्षमता x संख्या)	मोटर व पम्प (निर्माता /मॉडल)	मैनुअल/ ऑटो ट्रेकर	होम लार्जिंग सिस्टम (हाँ/नहीं)	फेसिंग (हाँ/नहीं)	एसेसरीज एवं अन्य सामान (हाँ/नहीं)	आपूर्ति दिनांक			युटीआर/चेक /डीडी नं./दिनांक	राशि रु.	विलीय स्वीकृति क्रमांक /दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1		उदाहरणार्थ														220x14	Lorantz/ PS 4000 C-SJ8-15	मैनुअल ट्रेकर	हाँ	हाँ	हाँ							
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
योग																												

संलग्न - सूची अनुसार 7 II

क्रमांक DHDS/Solar/ 2017-18

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
- अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि०, जिला
- सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार/ सहायक निदेशक कृषि /उद्यान
- सम्बन्धित फर्म मै.
- सम्बन्धित कृषक श्री.....
- आरक्षी पत्रावली

सदस्य सचिव, DHDS
दिनांक

सदस्य सचिव, DHDS

Details of Material Received for Solar Pumping System 2017-18

Name of farmer

Village

Tehsil

District

SPV Modules/ Array

Invoice/ bill/challan No & date

Solar Panel 200/220/225/230/250/300/315 WP

Panel Manufacturer:

Module No	Sr. No.	Peak wattage
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
	Total Wattage	

Motor and Pump Details

Type	Submersible/ Centrifugal Surface pump
AC/ DC
HP 3 /5 /7.5 /10
Head 20/50/75/100 (in Mtr.)
Make & Model :
Sr. No.
Domestic light system Yes/ No. Sr. No.	
Yes/ No	37 Wp module with 40 Ah battery/ 9Wx2 fixture
Fencing	Yes/ No

Other Details

Water Source : Diggi/ Tank/ Pond/ WHS/ Well/ TW

Controller	Make
Sr. No.
GI Support / Tracking System	
	Manual / Auto Tracker

HDPE Pipe	Make, (in mtr)
Cable	Length Mts
	Single core IS/, Make
DC Switch	Yes /No
Fitting	Satisfactory/ Non-satisfactory
Float system : yes/ No
Literature	Provided/ Not provided
Remote Monitoring	Provided/ Not provided
Others if any	

Date of Supply

Representative of Firm

Signature

Farmer/ Beneficiary

AAO/ AO/AD/DD (With seal)

Mobile No.

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट : सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र 2017-18

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 में कृषक श्री/ श्रीमती पुत्र/ पत्नी श्री
 ग्राम पं. सं. / तहसील जिला के खेत पर हमारे द्वारा सोलर पम्प का भौतिक
 सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम - 1., 2., 3.
2. पदनाम - 1., 2., 3.
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक -
4. कम्पनी का नाम -
5. प्रशासनिक स्वीकृति/ कार्यादेश क्रमांक दिनांक :
6. सोलर पम्प स्थापना का HP **3/5/7.5/10** सौर पम्प अनुदान 3/5 एचपी पम्प हैड मीटर में
 1. ट्रेकर सिस्टम - मेन्यूअल ट्रेकर/ओटो ट्रेकर 2. फैनसिंग - हॉ/नही 3. डोमस्टिक लाइटिंग सिस्टम - हॉ/नही
 कृषक द्वारा सोलर पम्प स्थापित करने की दिनांक माह वर्ष 20..... (कृषक से पूछताछ कर भरा जावे)
7. जल स्रोत जिस पर सोलर पम्प स्थापित किया गया है: डिग्गी/ जल संग्रहण ढांचा/ टैंक/ कुआ/ ट्यूबवेल
 अगर कुआं/ट्यूबवेल हो तो इसका जल स्तर कुल गहराईमीटर में
8. अवयवों की मात्रा एवं सोलर पम्प स्थापित (संलग्नानुसार) अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है
9. क्या कृषक द्वारा पूर्व में सोलर पम्प पर अनुदान लिया गया है? हां नहीं
10. यदि हां तो, वर्ष कम्पनी का ब्रांड HP
11. कृषक द्वारा ड्रिप/मिनी स्प्रींकलर/स्प्रींकलर/ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लॉ टनल पद्धति अपनायी जा रही है या नहीं
12. कृषक द्वारा अपनायी जाने वाली उद्यानिकी गतिविधियां
13. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण
14. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।
15. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है.....

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

		(प्रथम)	(द्वितीय)	(तृतीय)
आपूर्तिकर्ता	नाम	()	()	()
()	पदनाम			

Details of Solar Pumping System 2017-18

Name of farmer.....

Village

Tehsil

District

SPV Modules/ Array

Solar Panel 200/220/225/230/250/300/315 watt

Panel Series: if any

Panel Manufacturer:

Invoice/ bill/challan No & date

Module No	Sr. No.	Peak wattage
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total Wattage		

Motor and Pump Details

Type	Submersible/ Centrifugal Surface pump
AC/ DC
HP 3/5/7.5/10
Head 20/50/75/100 (in Mtr.)
Make & Model :
Sr. No.
Domestic light system Yes/ No. Sr. No.	
Yes/ No	37 Wp module with 40 Ah battery/ 9Wx2 fixture
Fencing	Yes/ No

Other Details

Water Source : Diggil/ Tank/ Pond/ WHS/ Well/ TW

Controller	Make
Sr. No.

GI Support / Tracking System

	Manual / Auto Tracker
--	-----------------------

HDPE Pipe Make (in mtr)

Civil work Satisfactory/ Non-satisfactory

Cable Length Mts

Single core IS/ Make

DC Switch (Yes/ No)

Fitting Satisfactory/ Non-satisfactory

Float system : yes/ No

Literature Provided/ Not provided

Remote Monitoring Provided/ Not provided

Array capacity 3000/4800/6750/9000 WP

Design of PV Array: Modular/

Fabrication of PV Module (Properly laminated and hermetically sealed) Yes/ No

Proper fencing, earthing, joints, RFID etc..

Protections

Against Dry Running:

Provided/ Not provided

Against wind speed:

Provided/ Not provided

Against Others, if any:

Provided/ Not provided

Signature

Representative of Firm

Farmer/ Beneficiary

Asstt. Director Agri./ Hort.

Dy. Director Agri./ Hort.

Representative of RREC

कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र एवं सुपूर्दगी

आपूर्तिकर्ता द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से सौलर पम्प सैट का कार्य निर्धारित मापदण्डानुसार पूर्ण कर दिया गया है। मैं कार्य से सन्तुष्ट हूँ तथा संयंत्र की सुपूर्दगी आज दिनांक को ले ली गयी है।

आपूर्तिकर्ता/ प्रतिनिधी के हस्ताक्षर

कृषक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी

Handed Over

Taken Over

सम्बन्धित कार्यालय का नाम

क्रमांक DHDS/Solar/2017-18

राज्य योजना/ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट अनुदान हेतु भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट 2017-18

राज्य योजना/जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन योजनान्तर्गत उद्यान निदेशालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना एवं जारी प्रशासनिक स्वीकृति/ कार्यादेश के क्रम में निम्न कृषकों के सोलर पम्प सेट स्थापन हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित किया गया है। अतः इस हेतु अंतिम चरण के अनुदान भुगतान की संस्तुति प्रदान की जाती है।

क. सं.	आधार न0	कृषक का नाम /पिता /पति	ग्राम	तहसील	जिला	सूची क्रमांक	श्रेणी GEN/ SCP/ TSP	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	कार्यादेश क्रमांक/ दिनांक	आवेदन 3/5/7/5/10 एचपी	हैड 20/50/75/100 मी.	AC/ DC	Surface / Submersible Pump	मैन्युअल / ऑटो ट्रेकर	डोमेस्टिक लाईटिंग सिस्टम (हॉ /नहीं)	फेन्सिंग (हॉ /नहीं)	स्थापना दिनांक	देय अनुदान 3/5 एचपी	कुल अनुदान संस्तुति प्रतिशत (55/70 /50/65)	कार्यादेश अनुसार ईकाई लागत (रु)	भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		उदाहरणार्थ																			संलग्न अनुसार संतोषजनक	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
योग																						

संलग्न: सूची अनुसार 8 I & II

सदस्य सचिव, DHDS

क्रमांक DHDS/Solar/2017-18/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
- अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि0, जिला
- सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार/ सहायक निदेशक कृषि /उद्यान
- सम्बन्धित फर्म में
- सम्बन्धित कृषक श्री.....
- आरक्षी पत्रावली

सदस्य सचिव, DHDS